सत्यमेव जयते

बिहार विधान–सभा

की

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

का

202वाँ प्रतिवेदन

बिहार राज्य विवरेजेज निगम लिमिटेड से संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 196वाँ प्रतिवेदन में सन्निहित अनुशंसा के कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन ।

दिनांक .... को सदन में उपस्थापित।

विषय–सूची

पृष्ठ संख्या

1.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का गठन वर्ष 2018–20	''क''
2.	सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण / प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)कार्यालय / विभागीय पदाधिकारीगण / निगम के पदाधिकारीगण	''ख''
3.	प्राक्कथन	''ग''
4.	प्रतिवेदन	1–2
5.	परिशिष्ट	3–4
6.	कार्यवाही	5–8

''क''

बिहार विधान सभा सचिवालय

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का वर्ष 2018 – 20 तक की अवधि के लिये गठित माननीय सदस्यों की सूची

सभापति

1. श्री हरिनारायण सिंह	स०वि०स०

सदस्यगण

1. श्री नरेन्द्र नारायण यादव	स०वि०स०
2. श्री रामदेव राय	स०वि०स०
3. श्री श्रीनारायण यादव	स०वि०स०
4. श्री अनिल सिंह	स०वि०स०
5. श्री ललन पासवान	स०वि०स०
6. श्री नीरज कुमार	स०वि०स०
7. श्री आलोक कुमार मेहता	स०वि०स०
8. श्री मुनेश्वर चौधरी	स०वि०स०
9. श्री रामचन्द्र सहनी	स०वि०स०
10. श्री रामचन्द्र भारती	स०वि०प०
11. श्री संजीव श्याम सिंह	स०वि०प०
12. श्री संजय प्रसाद	स०वि०प०

"ख"

बिहार विधान–सभा सचिवालय

1. श्री बटेश्वरनाथ पाण्डेय	सचिव
2. श्री भूदेव राय	उप–सचिव
3. श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	अवर–सचिव
4. श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह	सहायक
5. श्री अभितेष कुमार	सहायक

प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय

1. श्री नीलोत्पल गोस्वामी	प्रधान महालेखाकार
2. सुश्री प्रीति अब्राहम	वरिष्ठ उपमहालेखाकार
3. श्री सुजय कुमार सिन्हा	व०ले०प०अ० (प्रति0)
4. श्री कुमार विकास	स०ले०प०अ० / कोपू

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

1. श्री अभय राज,	विशेष सचिव

कॉरपोरेशन लिमिटेड

1. श्री आदित्य कुमार दास	आयुक्त उत्पाद–सह–प्रबंध निदेशक
2. श्री रेयाज अहमद खाँ	जी0एम0, फायनेंज
3. श्रीधर पाठक	अंकेक्षण पदाधिकारी
4. आर0 के0 सिन्हा	लेखा पदाधिकारी

प्राक्कथन

मैं सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की हैसियत से प्रतिवेदन संख्या – 196 वाँ में निहित समिति की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन पर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का प्रतिवेदन संख्या – 202वाँ प्रस्तुत करता हूँ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक– 06-09-2018 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है ।

कार्यान्वयन प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपने अथक परिश्रम से समिति को जो सहयोग दिया है वह सराहनीय है। इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ।

हरिनारायण सिंह
6/9/2018

(हरिनारायण सिंह)
सभापति,
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति,
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक :– 06-09-2018

बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड से संबंधित सी0ए0जी0 की आपत्ति पर समिति का प्रतिवेदन संख्या –196 वाँ

(दिनांक– 23.08.2017 को सदन में उपस्थापित) में दर्ज अनुशंसाओं पर कार्यान्वयन।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के प्रतिवेदन संख्या– 196वाँ

पृष्ट सं0–11

समिति की अनुशंसा

इस वित्तीय अनियमित्ता के लिए उक्त अवधि में कार्यरत प्रबंध निदेशक और एकाउंटेंट को समिति जिम्मेवार मानती है उन पर जवाबदेही निश्चित किया जाय।

विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 4.11 में बिहार राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि0 पर तीन वित्तीय वर्ष यथा 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में कुल 46.85 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान की आपत्ति दर्ज की गयी तथा कहा गया कि निगम द्वारा समुचित कर दायित्व के निर्धारण हेतू समुचित प्रणाली विकसित करने में विफलता के फलस्वरूप ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

दिनांक–11.01.2017 को बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 पटना से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 की कंडिका संख्या–4.11 में विभागीय उत्तर पर महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधियों एवं निगम के प्रबंध निदेशक के साथ समिति की बैठक हुई।

प्रबंध निदेशक ने समिति को सूचित किया कि टैक्स एडवांस में भुगतान करना होता है और मुख्य रूप से इसका टोटल एसेंसमेंट नहीं हो पाता है। कुछ व्यय जैसे प्रिवीलेज फीस, मुख्यमंत्री राहत कोष में अनुदान जो वित्तीय वर्ष के अंत में घटित होते हैं, लेखांकन वर्ष के अंत में घटित होने वाले विक्रय में एकाएक बढ़ोत्तरी इत्यादि के कारण आय अनुमान केवल अनिश्चित तरीके से ही हो सकता है एवं इसी कारण अनुमानित आय एवं निर्धारित आय में अंतर होना स्वाभाविक है जिसके कारण धारा 234बी0 एवं 234सी0 के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ऑडिट द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में निगम द्वारा इस मामले में काफी सुधार किया गया है।

विमर्शोपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं एकाउन्टेंट पर जवाब देही निश्चित किया जाय।

इस संबंध में निवेदनपूर्वक कहना है कि कंडिका पर विचार के समय निगम अपनी बात को सही ढंग से रखने में विफल रहा जिसके कारण समिति के द्वारा तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं एकाउन्टेंट पर जवाब देही निश्चित करने कि अनुशंसा की गयी है। अनुशंसा के आलोक में निगम द्वारा सारे तथ्यों का पुनः जाँच एवं समीक्षा की गयी जिसमें यह तथ्य सामने आया कि निगम के प्रबंध निदेशक एवं लेखापाल को उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में कारवाई किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

संबंधित विभागीय उत्तर पत्रांक–383, दिनांक–14.05.2018 परिशिष्ट पृष्ट संख्या–.3 एवं 4 पर द्रष्टव्य।

समिति का निर्णय

दिनांक– 02.07.2018 की बैठक में विभागीय कार्यान्वयन प्रतिवेदन एवं निगम के प्रबंध निदेशक के मौखिक उत्तर के आलोक में समिति द्वारा विमर्शोंपरान्त कहा गया कि समिति की अनुशंसा का कार्यान्वयन निगम द्वारा नहीं किया गया है परन्तु समिति के अनुशंसा के आलोक में निगम द्वारा सारे तथ्यों की पुनः जाँच एवं समीक्षा की गयी। निगम द्वारा यह बतलाया गया कि निगम के प्रबंध निदेशक एवं लेखापाल पर कार्रवाई किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है । उक्त सारे तथ्यों के आलोक में समिति द्वारा इस अनुशंसा को अकार्यान्वित मानते हुए अपने स्तर से समाप्त किया गया।

दिनांक–02.07.2018 की बैठक की कार्यवाही, परिशिष्ट संख्या– 5 से 8 पर द्रष्टव्य।

(हरिनारायण सिंह)
सभापति
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
बिहार विधान सभा ।

पटना :
दिनांक :–

परिशिष्ट

बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0

(बिहार सरकार का उपक्रम)

विद्युत भवन–II, प्रथम तल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग पटना

C.I.No.:-U15520BR2006SGC012413, Phone:-0612-2505410, Fax-0612-2504506, Websit www.bsbcl.in

पत्रांकः–BSBCL/F & A/522/16-17/383 दिनांकः– 14.5.18

प्रेषक,

आदित्य कुमार दास, भा0.प्र0.से0.

प्रबंध निदेशक,

सेवा में,

उपसचिव,

बिहार विधान सभा,

पटना।

विषयः–**कंडिका संख्या–4.11 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपकमों पर प्रतिवेदन की कंडिका संख्या–4.11 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

विश्वासभाजन

11/5/18

प्रबंध निदेशक

बिहार विधान–सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 का 196वाँ प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 4.11 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 4.11 में बिहार राज्य बिबरेजेज कॉरपोरेशन लि0 पर तीन वित्तीय वर्ष यथा 2009–10 , 2010–11 एवं 2011–12 में कुल 46.85 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान की आपत्ति दर्ज की गयी तथा कहा गया कि निगम द्वारा समुचित कर दायित्व के निर्धारण हेतू समुचित प्रणाली विकसित करने में विफलता के फलस्वरूप ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

दिनांक 11.01.2017 को बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 पटना से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 की कंडिका संख्या 4.11 में विभागीय उत्तर पर महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधियों एवं निगम के प्रबंध निदेशक के साथ समिति की बैठक हुई।

प्रबंध निदेशक ने समिति को सूचित किया कि टैक्स एडवांस में भुगतान करना होता है और मुख्य रूप से इसका टोटल ऐसेसमेंट नहीं हो पाता है। कुछ व्यय जैसे प्रिवीलेज फीस, मुख्यमंत्री राहत कोष में अनुदान जो वित्तीय वर्ष के अंत में घटित होते हैं, लेखांकन वर्ष के अंत में घटित होने वाले विक्रय में एकाएक बढ़ोत्तरी इत्यादि के कारण आय अनुमान केवल अनिश्चित तरीके से ही हो सकता है एवं इसी कारण अनुमानित आय एवं निर्धारित आय में अंतर होना स्वाभाविक है जिसके कारण धारा 234बी0 एवं 234सी0 के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान करना पड़ता है। ऑडिट द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में निगम द्वारा इस मामले में काफी सुधार किया गया है।

विमर्शोपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं एकाउन्टेंट पर जवाब देही निश्चित किया जाय।

इस संबंध में निवेदनपूर्वक कहना है कि कंडिका पर विचार के समय निगम अपनी बात को सही ढंग से रखने में विफल रहा जिसके कारण समिति के द्वारा तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं एकाउन्टेंट पर जवाब देही निश्चित करने कि अनुशंसा की गयी है। अनुशंसा के आलोक में निगम द्वारा सारे तथ्यों का पुनः जाँच एवं समीक्षा की गयी जिसमें यह तथ्य सामने आया की निगम के प्रबंध निदेशक एवं लेखापाल को उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में कारवाई किया जाना न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है । ऐसी परिस्थिति में समिति से विनम्र अनुरोध है कि इस मामले को समाप्त करने की कृपा की जाय।

11/3/18

प्रबंध निदेशक
बी0एस0बी0सी0एल0
पटना।

शंभु/राजेश

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक दिनांक 02.07.2018 को 3:00 बजे अप0 में प्रारंभ हुई, की कार्यवाही ।

उपस्थिति :

श्री हरि नारायण सिंह	सभापति
श्री श्रीनारायण यादव	सदस्य
श्री ललन पासवान	सदस्य
श्री नीरज कुमार	सदस्य
श्री मुनेश्वर चौधरी	सदस्य
श्री रामचन्द्र सहनी	सदस्य
श्री संजय प्रसाद	सदस्य

महालेखाकार कार्यालय :

प्रीति अब्राहम, वरिष्ठ उप महालेखाकार

श्री सुजय कुमार सिन्हा, व0ले0प0अ0

श्री कुमार विकास, स0ले0प0अ0/कोपू

विभागीय पदाधिकारीगण :

श्री आदित्य कुमार दास, एम0डी0,बी0एस0बी0सी0एल0

श्री अभय राज, विशेष सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

श्री रेयाज अहमद खॉ, जी0एम0, फायनेंस

सभापति : बैठक प्रारंभ की जाती है ।

बिहार राज्य बिवरेजेज निगम लिमिटेड से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर

प्रतिवेदन की कंडिका संख्या-4.11 पर समिति के प्रतिवेदन पर पुनर्विचार करने के संबंध में- इसपर विभाग का क्या कहना है ?

एम0डी0 : सर, इसपर लास्ट टाइम जब चर्चा हुई थी तो उसपर एक कार्यान्वयन प्रतिवेदन हमने दिया था । मैं पढ़ देता हूँ । भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 4.11 में बिहार राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 पर तीन वित्तीय वर्ष यथा-2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में कुल 46.85 लाख के ब्याज का परिहार्य भुगतान की आपत्ति दर्ज की गयी तथा कहा गया कि निगम द्वारा समुचित कर दायित्व के निर्धारण हेतु समुचित प्रणाली विकसित करने में विफलता के फलस्वरूप ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा । दिनांक 11.01.17 को बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि0 पटना से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13 की कंडिका सं0 4.11 में विभागीय उत्तर पर महालेखाकार कार्यालय के प्रतिनिधियों एवं निगम के प्रबंध निदेशक के साथ समिति की बैठक हुई । प्रबंध निदेशक ने समिति को सूचित किया कि टैक्स एडवांस में भुगतान करना होता है और मुख्य रूप से इसका टोटल एसेसमेंट नहीं हो पाता है । कुछ व्यय जैसे प्रिवलेज फीस, मुख्यमंत्री राहत कोष में अनुदान जो वित्तीय वर्ष के अंत में घटित होते हैं, लेखांकन वर्ष के अंत में घटित होने वाले विक्रय में एकाएक बढ़ोत्तरी इत्यादि के कारण आय अनुमान केवल अनिश्चित तरीके से ही हो सकता है एवं इसी कारण अनुमानित आय एवं निर्धारित आय में अंतर होना स्वाभाविक है जिसके कारण धारा 234बी0 एवं 234सी0 के अन्तर्गत ब्याज का भुगतान करना पड़ता है । औडिट द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में निगम द्वारा इस मामले में काफी सुधार किया गया है । विमर्शोपरान्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि इस मामले में तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं एकाउन्टेंट पर जवाबदेही निश्चित किया जाय । इस संबंध में निवेदनपूर्वक कहना है कि कंडिका पर विचार के समय निगम अपनी बात को सही ढंग से रखने में विफल रहा जिसके कारण समिति के द्वारा तत्कालीन प्रबंध निदेशक एवं एकान्टेंट पर जवाबदेही निश्चित करने की अनुशंसा की गयी है । अनुशंसा के आलोक में निगम द्वारा सारे तथ्यों का पुन: जॉच एवं समीक्षा की गयी जिसमें यह तथ्य सामने आया कि निगम के प्रबंध निदेशक एवं लेखापाल को उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में कार्रवाई किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है । ऐसी परिस्थिति में समिति से विनम्र अनुरोध है कि इस मामले को समाप्त करने की कृपा की जाय ।

श्री मुनेश्वर चौधरी : इससे तो यही लगता है कि निगम ने पूर्व की बैठकों में समिति के समक्ष पूर्ण तथ्य नहीं रखा है ।

श्री ललन पासवान : यह भी प्रतीत होता है कि निगम ने तथ्य को छुपाने का प्रयास किया है ।

एम0डी0 : सर, ऐसी बात नहीं है कि निगम ने तथ्य छुपाने का प्रयास किया है । विभागीय उत्तर को देखने से पता चलेगा कि हमने विधिवत् तथ्यों को समिति के समक्ष रखा है और यह भी है कि इन मामलों में ग्रेजुवली सुधार हुआ है । हमारे पूर्व के पदाधिकारी जो भी रहें हो उनको समिति के सामने पूरे तथ्य को रखना चाहिए था । मैं उनपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ । यह भी तथ्य है कि उन्हीं पदाधिकारियों ने मेहनत करके 500 करोड़ के राजस्व को बढ़ाकर 5000 करोड़ तक पहुंचाने में अहम योगदान किया । इसलिए मेरा मानना है कि वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए ।

श्री ललन पासवान : आपका कहना सही है, लेकिन किसी ने किसी की गलती तो रही है ।

एम0डी0 : सर, हमने कहा कि पदाधिकारियों की इसमें गलती नहीं है, एसेसमेंट करना चाटर्ड एकान्टेंट का काम है और वे इसमें दक्ष होते हैं और उनके रेकोमेन्डेशन पर ही टैक्स जमा होता है ।

सभापति : ए0जी0 से जो आये हैं उनको क्या कहना है ?

व0उ0महालेखाकार : सर, इनका काम अभी नहीं चल रहा है और ये जो परसेंटेज बेसिस की बात कर रहे हैं वह एक्सेप्टेबल है, लेकिन रकम को देखेंगे तो काफी बड़ा है ।

श्री मुनेश्वर चौधरी : अब किसी पूर्ववर्ती पदाधिकारी ने तथ्य को ठीक से समिति के समक्ष नहीं रखा तो समिति को कन्फ्यूजन हो गया ।

सभापति : समिति की अनुशंसा का कार्यान्वयन निगम द्वारा नहीं किया गया है और पुनः अनुशंसा के अलोक में निगम द्वारा सारे तथ्यों की पुनः जॉच एवं समीक्षा की गयी जिसमें यह तथ्य सामने आया कि निगम के प्रबंध निदेशक एवं लेखापाल पर उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में कार्रवाई किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होने की बात की गयी है । सारे तथ्यों के आलोक में समिति अब इस विषय पर समिति की अनुशंसा को अकार्यान्वित मानते हुए अपने स्तर से समाप्त करती है ।

एम0डी0 : जी, ठीक है ।

सभापति : समिति के 201वॉं प्रतिवेदन के तथ्यात्मक विवरणी को सत्यापित करने हेतु महालेखाकार कार्यालय को भेजा गया था । महालेखाकार ने अपने पत्रांक-52, दिनांक 22.06.18 के द्वारा समिति के समक्ष सत्यापित प्रति भेजा है । समिति कार्यालय को निदेश देती है कि प्रतिवेदन में टाइपिंग अशुद्धियों को शुद्ध कर अग्रेतर कार्रवाई करे ।

समिति की आगामी विभागीय बैठक दिनांक 12.07.18 को 3 बजे अप0 में होगी जिसमें समिति बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम से संबंधित भारत के नियंत्रक

ह0/12/7/18

महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष-2010-11 की कंडिका सं0-4.5 एवं 4.7 पर विचार विमर्श करेगी । अतः उक्त बैठक में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, महालेखाकार एवं प्रधान सचिव, गृह विभाग को विमर्श हेतु आमंत्रित किया जाय ।

समिति दिनांक 17 अगस्त, 2018 से 31 अगस्त, 2018 तक राज्य के बाहर पश्चिम बंगाल, अण्डमान निकोबार, तामिलनाडु एवं पांडिचेरी राज्यों की स्थल अध्ययन यात्रा करेगी । कार्यालय इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई करे ।

तत्पश्चात् बैठक स्थगित हुई ।